न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

1 प्र. सं. 18/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

....निगरकार

1 श्री प्रकाश चन्द्र पिता पन्ना लाल टेलर निवासी गादोला, तह. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2 ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3 श्रीमती शीला सुराणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा
4 श्री घनश्याम सिंह तत्कालीन एवं सेवानिवृत सचिव ग्रा.पं. सतखण्डा

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा. पं. रा. अ. 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत, सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 08 पु. सं. 323 दिनांक 20.01.2012

2 प्र. सं. 19/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये बनाम विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

1 श्री सुनील कुमार पिता पन्ना लाल टेलर निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2 ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
3 श्रीमती शीला सुराणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा
4 श्री घनश्याम सिंह तत्कालीन एवं सेवानिवृत सचिव ग्रा.पं. सतखण्डा

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा. पं. रा. अ. 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत, सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 09 पु. सं. 323 दिनांक 20.01.2012

जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

3 प्र. सं. 20/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्री संजय कुमार पिता पन्ना लाल टेलर निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

3 श्रीमती शीला सुराणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा

4 श्री घनश्याम सिंह तत्कालीन एवं सेवानिवृत सचिव ग्रा.पं. सतखण्डा

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा. पं. रा. अ. 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत, सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 पु. सं. 323 दिनांक 20.01.2012

4 प्र. सं. 24/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्रीमति कमला देवी पत्नि देवी लाल टेलर निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

3 श्रीमती शीला सुराणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा

4 श्री घनश्याम सिंह तत्कालीन एवं सेवानिवृत सचिव ग्रा.पं. सतखण्डा

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा. पं. रा. अ. 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत, सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 पु. सं. 323 दिनांक 20.01.2012

5 प्र. सं. 27/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्री देवीलाल पिता नाथू लाल टेलर निवासी सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

3 श्रीमती शीला सुराणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा

4 श्री घनश्याम सिंह तत्कालीन एवं सेवानिवृत सचिव ग्रा.पं. सतखण्डा

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा. पं. रा. अ. 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत, सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 14 पु. सं. 323 दिनांक 20.01.2012

6 प्र. सं. 55/2018 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 10.09.2018

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति निम्बाहेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

.....निगराकार

बनाम

1 श्री गणपत लाल पिता प्रभू लाल तेली निवासी चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2 ग्राम पंचायत सतखण्डा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

3 श्रीमती शीला सुराणा तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत सतखण्डा

4 श्री घनश्याम सिंह तत्कालीन एवं सेवानिवृत सचिव ग्रा.पं. सतखण्डा

.....विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 रा. पं. रा. अ. 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत, सतखण्डा द्वारा जारी पट्टा संख्या 32 पु. सं. 323 दिनांक 20.01.2012

उपस्थितिः- 1- श्री बसन्ती लाल पोखरना, अधिवक्ता, निगराकार
2- श्री भूपेन्द्र भटनागर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01
3- श्री निलेश भटनागर, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 03

निर्णय

दिनांकः- 18.06.2019

उपरोक्त सभी प्रकरण एक ही प्रकृति के होने से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं। निर्णय की प्रति उपरोक्त सभी प्रकरणों की पत्रावलियों में संलग्न की जावे। प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टे जारी करने से पूर्व नियम 142 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से योजना तैयार नहीं कराई गई और न ही सक्षम स्तर से योजना का अनुमोदन लिया गया तथा न ही पट्टे जारी करने से पूर्व पंचायत के अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई भूखण्ड आरक्षित किये गये। इस प्रकार पंचायती राज अधिनियम के नियमों की कोई पालना नहीं की गई है और जो पट्टे जारी किये गये हैं वो विधि-विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी किए गए पट्टे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र भटनागर तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री निलेश भटनागर ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किए। विपक्षी संख्या 2 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। विपक्षी संख्या 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। ग्राम पंचायत से संबंधित पत्रावली/रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचाचत से रेकॉर्ड प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

निगराकार के अधिवक्ता ने निगरानी मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जो ग्राम योजना तैयार की गई है वो नियम 142 के प्रावधानों के अनुसार तैयार नहीं की गई और न ही उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया। पट्टे जारी करने से पूर्व अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, विकलांग आदि के लिए भूखण्ड आरक्षित नहीं किए गए। नीलामी समिति का गठन भी नियम 151 के अनुसार नहीं किया गया तथा नीलामी समिति में सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी को सदस्य नहीं बनाया गया। ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा उक्त ग्राम योजना में 63 व्यक्तियों को एक साथ पट्टे जारी किये उसके संबंध में भैरूलाल नामक व्यक्ति ने भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एक जनहित याचिका दायर की जिस पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने आदेश जारी कर जांच के आदेश दिए और इसकी जांच में भी आलोच्य पट्टे पंचायती राज नियम के प्रावधानों अनुसार नहीं पाए व उनमें अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी उक्त पट्टे पंचायती राज अधिनियम के नियमों के विपरीत एवं विधि-विरूद्ध होने से निरस्त फरमावें।

जिला कलक्टर
निवाई

विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी संख्या 03 के अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा आबादी की आराजी नम्बर 918/1848 रकबा 4.00 बीघा में 30X45 साईज के 63 भूखण्ड सार्वजनिक नीलामी से विक्रय किये जाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर से प्लान तैयार किया तथा ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदन उपरान्त प्लान अनुमोदन हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा को जरिये पत्रांक ग्रा.पं./2011-12/स्पे दिनांक 20.09.2011 से प्रेषित किये जाने पर उनके द्वारा पत्रांक/पंसनि/पंचायत/ 2011-12/276 दिनांक 11.01.2012 से पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक दिनांक 30.12.2011 के प्रस्ताव संख्या 12(8) से अनुमोदन किये जाने से अवगत करा नियम 167 के तहत अन्य कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर कार्यवाही की गई है। नियम 142 के तहत प्लान तैयार किया जाकर अनुमोदन कराये जाने व भूखण्ड विक्रय हेतु प्लान तैयार कर पंचायत समिति में पदस्थापित अभियंता द्वारा मौका निरीक्षण कर प्लान के आधार से भूखण्ड आवंटन करना उचित होने बाबत् टिप्पणी अंकित कर हस्ताक्षर उपरान्त विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्लान वरिष्ठ अभियन्ता द्वारा अनुमोदन किया जाना अपेक्षित होने तथा तत्समय वरिष्ठ अभियंता पद पर कार्यरत आबकारी एवं वरिष्ठ अभियंता होने से उनके द्वारा अनुमोदन उपरांत पंचायत समिति की साधारण सभा मे प्लान अनुमोदन कराया है इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नियम 142 के प्रावधानों के अनुरूप ही योजना तैयार कर अमल में लाई गई है जिसमे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। राज. पंचायत राज. नियम, 1996 के नियम 141 से 156 मे आबादी भूमि का विक्रय नीलामी के माध्यम से किये जाने संबंधी प्रावधानों में अल्प आय, मध्यम आय, विकलांग वर्ग, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं के लिए भूखण्ड आरक्षित रखने का प्रावधान नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा आबादी भूमि आराजी नम्बर 920/1565 कुला रकबा 1.10 बीघा का ब्लॉक बी. एवं डी. को अ. जा./अ.ज.जा./बी.पी.एल., अल्प संख्यक आदि के लिए आरक्षित रखे जाने संबंधी सूचना समाचार पत्र दैनिक भास्कर के अंक दिनांक 19.10.2011 मे प्रकाशित करवाई गई। नियम 151 उपनियम 1(iv) में तीन सदस्यों से नीलामी समिति की गण पूर्ति होगी का उल्लेख होने के आधार पर नीलामी समिति में स्वयं सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच के उपस्थित होने व गणपूर्ति होने के उपरान्त ही भूखण्ड नीलामी की कार्यवाही पूर्ण की गई है। सभी भूखण्ड उप रजिस्ट्रार द्वारा नियत की गई सूचक दर से अधिक दर पर ही नीलाम से विक्रय किये गये हैं तथा भूखण्डों की विक्रय राशि 50,000/-रूपये से अधिक होने से नियम 154(3) (क) में वर्णित प्रावधान की पालना में ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा जरिये पत्र दिनांक 27.12.2011 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा को विक्रित भूखण्डों की पुष्टि/अनुमोदन साधारण सभा की बैठक में कराये जाने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा किसी प्रकार प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अतः निगरानी निरस्त फरमावें।

विपक्षी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत किया कि निगरानी में वर्णित तथ्यों से ग्राम पंचायत सहमत है अतः उचित आदेश प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत सतखण्डा से प्राप्त रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। तत्कालीन ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा दिनांक 22.12.2011 एवं 23.12.2011 को 30X45 साईज के 63 भूखण्डों को जरिये नीलामी विक्रय कर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 20.01.2012 को पट्टे जारी किये गये।

ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकार्ड का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 142 की पालना नहीं की गई है नियम 142 इस प्रकार है:- जब कभी आबादी के विकास के लिए भूमि किसी पंचायत को अंतरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो, ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का भावी विकास अनुमोदित विकास योजना के अनुसार किया जायेगा। ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा प्लान, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मे पदस्थापित नगर आयोजन अधिकारी/सहायक नगर आयोजनाकार से तैयार नहीं करवाकर अपने स्तर पर ही प्लान तैयार कर लिया गया है तथा उसे सक्षम स्तर (विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार) पर भी अनुमोदन नहीं करवाया गया है बल्कि उसे पंचायत समिति स्तर पर ही कनिष्ठ अभियंता एवं विकास अधिकारी से अनुमोदन कराया गया है जो कि राज. पंचायती राज नियम 142 का स्पष्ट उल्लंघन है और न ही उक्त प्लान में वंचित वर्गो के लिए भूखण्डों को आरक्षित किया गया है नियम 142 (4) के तहत भूखण्डों का आवंटन भी राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा के यहां प्लान तैयार कर अनुमोदन हेतु भिजवाया गया तो उन्हें भी प्रचलित नियमों के तहत उक्त प्लान को अस्वीकार करते हुए नवीन आवासीय योजना के प्लान का सक्षम स्तर से अनुमोदन कराने हेतु ग्राम पंचायत को सूचित किया जाना चाहिए था जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानियां स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सतखण्डा द्वारा गैर निगराकार/विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 20.01.2012 को जारी किये गये पट्टा क्रमांक क्रमशः 08, 09, 10, 13, 14 एवं 32 (पुस्तक संख्या 323) उक्त पट्टे निरस्त किये जाते हैं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि तत्कालीन दोषी सरपंच, सचिव एवं विकास अधिकारी निम्बाहेड़ा के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति सभी संबंधित पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़